

Infrastructure details of the ~~proposed~~ Teacher education programme (pl. ensure that the dimensions of classrooms, laboratories, library, multipurpose hall, floor wise area, total area etc are properly indicated in the approved building plan as per provisions of the NCTE Regulation, 2014:

Total land area earmarked for the proposed teacher training programme.		8170.9 Sqm	
Total built up area		2550 Sqm	
Infrastructure details as per provisions of the NCTE Regulations, 2014 (the institution is required to fill up the information as per the applicability of the NCTE Regulations 2014 and norms & standards there under:-			
1.	Class Room No.	(i) 612 Sq.ft. each	(iii) 612 Sq.ft. each
		(ii) 612 Sq.ft. each	(iv) 612 Sq.ft. each
2.	Multipurpose Hall	(i) 2475 Sq.ft. each	
3.	Library-cum-Reading room	(i) 750 Sq.ft. each	
4.	ICT Resource Centre	(i) 450 Sq.ft. each	
5.	Art and Craft Resource Centre	(i) 600 Sq.ft. each	
6.	Health and Physical Education Resource Centre	(i) 600 Sq.ft. each	
7.	Curriculum Laboratory	(i) 600 Sq.ft. each	
8.	Principal's office	(i) 240 Sq.ft. each	
9.	Staff Room	(i) 240 Sq.ft. each	
10.	Administrative Office	(i) 450 Sq.ft. each	
11.	Girl's Common Room	(i) 260 Sq.ft. each	
12.	Seminar Room	(i) 2400 Sq.ft. each	
13.	Canteen	(i) 600 Sq.ft. each	
14.	Separate Toilet Facility for Boys and Girls	(i) 220 Sq.ft. each	
15.	Parking Space	(i) 1500 Sq.ft. each	
16.	Store Room (two)	(i) 370 Sq.ft. each (ii) 180 Sq.ft. each	
17.	Multi Purpose Play Field	(i) 53220.7 Sq.ft. each	
18.	Open space for additional accommodation	15000 Sq.ft	
19.	Total Build up area in the Building.....	8202.1.....Sq.ft.	
20.	Provision of Hostel if any	yes/no Residential/non-residential	

Signature

Abhuthay

(Name)

मा. राजीव गांधी विद्यापीठ शिक्षा संस्थान

Designation & stamp of the Management of the Institution :

राजीव गाँधी महाविद्यालय टी. टी, अमरवासी

अमरवासी, तह. - जहाजपुर, जिला - भीलवाडा

फोन - 9636510076, 9602849355

क्रमांक

दिनांक

Room Wise Class Details

Total land area earmarked for the proposed teacher training programme.		8170.9 sqm	
Total built up area		2500 sqm	
Infrastructure details as per provisions of the bNCTE Regulation 2014 (the institution is required to fill up the information as per the applicability of the NCTE Regulations 2014 and norms & standards there under :-			
1	Class Room No.	10	(i) 612 Sq.ft.each
2	Multipurpose Hall	1	(i) 2475 Sq.ft.each
3	Library-cum-Reading room	1	(i) 750 Sq.ft.each
4	ICT Resource Centre	1	(i) 450.Sq.ft.each
5	Art and Craft Resource Centre	1	(i) 600.Sq.ft.each
6	Health and Physical Education Resource Centre	1	(i) 600.Sq.ft.each
7	Curriculum Laboratory	1	(i) 600.Sq.ft.each
8	Principal,s office	1	(i) 240.Sq.ft.each
9	Staff Room	2	(i) 240.Sq.ft.each
10	Administrative Office	2	(i) 450.Sq.ft.each
11	Girl,s Common Room	1	(i) 260.Sq.ft.each
12	Seminar Room	1	(i) 2400.Sq.ft.each
13	Canteen	1	(i) 600.Sq.ft.each
14	Separate Toilet Facility for boys and girls	4	(i) 220.Sq.ft.each
15	Parking Space		(i) 1500.Sq.ft.each
16	Store Room (two)	2	(i) 390.Sq.ft.each (i) 180.Sq.ft.each
17	Multi Purpose Play Field		(i) 53220.7.Sq.ft.each
18	Open space for additional accompdation		(i) 15000.Sq.ft.each
20	Provision of Hostel if any		Yes, Sepretily

(Signature)

मन्त्री
राजीव गाँधी विद्यापीठ शिक्षा संस्थान

∴ सम्परिवर्तन आदेश ∴

राजीव गांधी महाविद्यालय अमरवासी मंत्री रा0गां0 विधा पीठ शिक्षा संस्थान अमरवासी के आवेदन पत्र पर ग्राम अमरवासी तहसील जहाजपुर स्थित खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण) क्षेत्र में कृषि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नियम,2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी प्रविशिष्टियाँ नीचे दी गई है:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम /पिता / पति के नाम सहित तथा पुरा पता:-	राजीव गांधी महाविद्यालय अमरवासी मंत्री रा0गां0 विधा पीठ शिक्षा संस्थान अमरवासी, जहाजपुर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जन जाति का सदस्य है:-	नहीं
3.	<u>सम्परिवर्तन होने वाली भूमि का विवरण:-</u> अ. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल:- (हैक्टर/बीघा/व.मी.) स. प्रत्येक खसरा न0 के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये सम्परिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टर व.मी.में)	अमरवासी/अमरवासी /जहाजपुर आ0नं0 2235/1 रकबा 3.18 बीघा आ0नं0 2235/1 रकबा 3.18 बीघा में से 2500 वर्गमीटर
	<u>टिप्पणी:-</u> अकृषि प्रयोजन के लिये सम्परिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न करें :-	नक्शा संलग्न है
4.	सम्परिवर्तन का प्रयोजन:-	वाणिज्यिक (शिक्षासंस्थान) प्रयोजन
5.	संदेय प्रीमियम दर :-	5/- प्रति वर्गमीटर
6.	चालान संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम रकम:-	चालान संख्या 218 दि0 10.10.2011 से 12500/- रूपये जमा
7.	चालान संख्या तथा तारीख सहित शास्ति, यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम:-	चालान संख्या 218 दि0 10.10.2011 से 50000/- रूपये जमा
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम	नहीं
9.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है:-	हां

10.	<p><u>अन्य विशिष्टिया यदि कोई हो :-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. इण्डियन रोड कांग्रेस के द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना सुनिश्चित की जावे साथ ही इस कार्यालय से जारी परिपत्र क्रमांक एफ.12-3(एफ)(15)आरए /2007 दिनांक 14.8.2007 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। 2. संपरिवर्तन भू-भाग में किसी पडौसी की भूमि को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। 3. एम.डी.आर. सडक के सेंटर से 25 मीटर की दूरी छोडते हुये एवं सेंटरल लाईन से 50 मीटर की दूरी (कंट्रोल लाईन) के भीतर कोई निर्माण नहीं किया जावेगा। 4. सक्षम अधिकारी से नक्शा अनुमोदन के उपरांत ही निर्माण कार्य करवाया जावे।
11.	<p><u>उपयुक्त सम्परिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अधधीन होगा:-</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 2. यदि कोई इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सम्परिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहरित कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समप्रहत हो जावेगा। 3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 4. नियम 11 के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विहित प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

जिला कलेक्टर,
भीलवाडा

क्रमांक एफ:12-4(37)आरए/2010/5584

दिनांक 08/11/2011

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ/पालनार्थ:-

1. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा अनुभाग कार्यालय हाजा।
2. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, भीलवाडा
3. उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर/तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
4. सरपंच, ग्राम पंचायत अमरवासी/पटवारी हल्का अमरवासी तहसील जहाजपुर
5. श्री राजीव गांधी महाविद्यालय अमरवासी मंत्री रा0गां0 विधा पीठ शिक्षा संस्थान अमरवासी,
6. गार्ड पत्रावली।
को प्रेषित है।

जिला कलेक्टर,
भीलवाडा

लक्ष्मी
14/11/2011



210'0"



40'0"

PAVED

CLAY & RICHARD

GROUND FLOOR PLAN

Scale: 1/8" = 1'-0"



FIRST FLOOR PLAN

Architect: [illegible]

Scale: 1/8" = 1'-0"

Project: [illegible]

Date: [illegible]

Sheet: [illegible]

Contract: [illegible]

Address: [illegible]

City: [illegible]

Handwritten signature

2007